राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 99/2021

1. गरीबाराम पुत्र सुल्तानराम
2. राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप
3. रोताश पुत्र मनभर
4. लक्ष्मी पुत्र रामस्वरूप
5. सुभाष पुत्र रामस्वरूप
6. सीताराम पुत्र रामस्वरूप

जाति मेघवाल निवासी बेसरडा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... आवेदकगण

ब–ना–म

भूमि धारक तहसीलदार, खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

.............अनावेदक

आवेदन पत्र अ0धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956
बाबत दुरूस्त किये जाने नक्शा ट्रेस

–: **निर्णय :–** **दिनांक : 08–09–2022**

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बेसरडा तहसील खेतडी में स्थित भूमि हाल खाता सं. 185 में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 745 रकबा 0.44 है, हाल ख.नं. 926 रकबा 0.23 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.67 है, भूमि के आवेदकगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि गत खसरा नंबर 606 व गत् खसरा नंबर 718/606 से बनकर आई है। गत् खसरा नंबर 606 नक्शा किश्तवार (मोमीया में) ख.नं. 606 को आयताकार आकृति में पूर्व से पश्चिम में दर्शाया गया है जबकि गत् ख.न. 606 के हाल खसरा नंबर 745 बना है। वर्तमान नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 का मिलान गत् नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस को उपर रख कर मिलाते है तो हाल खसरा नंबर 745 की स्थिति तथा खसरा नंबर 606 के आकार की होनी आवश्यक थी परन्तु गलती व सहवन भूल से खसरा नंबर 745 के कॉलम में [illegible] उत्तर से दक्षिण खींच दी गई उसके बाद शेष आयताकार बची भूमि को दर्शाया गया है तथा हाल खसरा नंबर 745 की मौके पर उत्तरी तरफ हाल खसरा नंबर 743, 744 स्थित है तथा दक्षिणी तरफ हाल खसरा नंबर 751, 750, 749 स्थित है। इससे साबित है कि खसरा नंबर 745 को पूर्व नक्शा ट्रेस

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

गत् खसरा नंबर 606 के अनुसार उसी सीमाओं में दर्ज होना चाहिए था। परन्तु गलती भूल से बीच में लाईन दर्ज करदी गई उक्त लाईन को हटाया जाकर खाली बाक्स की भूमि को 745 की भूमि माना जावे। इस कारण यह नक्शा ट्रेस दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। हाल खसरा नंबर 745 का नजरी नक्शा संलग्न है जिसको लाल स्याही से आकृति में आयताकार दर्ज किया है जो मौके व गत् नक्शा ट्रेस के अनुसार सही है। गत् खसरा नंबर 606 भी आवेदकगण के पूर्वजों के नाम से खातेदारी में दर्ज है। गत् ख.नं. 623 रकबा 18 बिस्वा, गत् ख.नं. 606 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिसवा भूमि के खातेदार मनभर, रामस्वरूप पिता जीवनराम दर्ज रिकार्ड है। मनभर की 20 साल पूर्व रामस्वरूप की 11 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। आवेदक सं. 1 ने दर्ज हिस्सा 1/3 की भूमि आवेदक सं. 3 से खरीदी थी। इस कारण आवेदक सं. 1 खातेदार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 745 की नक्शा किश्तवार में दर्ज पश्चिमी तरफ खाली आयताकार आकृति को, ख.नं. 745 की भूमि मानी जाकर, ख.नं. 745 के पश्चिम तरफ बीच की लाईन हटाई जावे ताकि ख.नं. 745 मौके के अनुसार गत् नक्शा ट्रेस ख.नं. 606 की आकृति के दर्ज किया जावे। नजरी नक्शा के अनुसार नक्शा किश्तवार के अनुसार दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने जरिये पत्रांकः भू.अ. /कैम्प/2022/2424 दिनांक 03–12–2021 से पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवास की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि ग्राम बेसरड़ा तहसील खेतड़ी स्थित वर्तमान खसरा नंबर 745 रकवा 0.44 है., ख.नं. 926 रकबा 0.23 है. कुल किता 2 रकबा 0.67 है. भूमि कुन्दन पुत्र रामस्वरूप 1/15, गरीबाराम पुत्र सुलतानराम 1/3, राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप 1/15 रोताश पुत्र मनभर 1/3 लिछमी पुत्री रामस्वरूप 1/15 सुभाष पुत्र रामस्वरूप 1/15, सीताराम पि0 रामस्वरूप जाति मेघवाल के नाम दर्ज है। खसरा नंबर हाल 745 रकबा 0.44 है. गत् खसरा नंबर (मिलान क्षेत्रफल अनुसार) 606 मी. से बना है। वर्तमान खसरा नंबर 743, 744 गत् खसरा नंबर 718/606 मी. से बने हैं। गत् खसरा नंबर नक्शा किश्तवार (मोमीया से) प्रतिलिपि [illegible].07.2021 के अनुसार खसरा नंबर 606 से 618/606 बना है जिससे वर्तमान खसरा 744 बने 745 खसरा 606 मी.से बना है। 606 व 718/606 से कुल चार टुकड़े वर्तमान शीट में है जिसमें 743,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

744, 745 तीन के खसरे नंबर दिये गये परन्तु चौथा टुकड़ा खाली (नक्शे में रख दिया गया) उसमें खसरा नहीं है। खाली भी पुरानी शीट अनुसार 606 से बना है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य अभिलेख में नकल नक्शा किश्तवार ग्राम बेसरड़ा, नकल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 जारी क्रमांक 4615 दिनांक 28.06.2021, नकल नक्शा किश्तवार (मोमीया से) ग्राम बेसरड़ा सन् 1939–40 संवत् 1996–97, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 185 ग्राम बेसरड़ा, नकल जमाबंदी संवत् 2033 ग्राम बेसरड़ा, जमाबन्दी संवत् 2033–36 ग्राम बेसरड़ा, प्रस्तावित नजरी नक्शा पेश किये गये।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। तहसीलदार खेतड़ी को पत्र क्रमांकः भू.अ. /कैम्प/2022/2424 दिनांक 03–12–2021 के संलग्न पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवास पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा पेश राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र दिनांक 03–12–2021 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मेहाड़ा जाटूवास के प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र संदेह से परे साबित होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार किये जाने योग्य है लिहाजा

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम बेसरड़ा स्थित हाल भूमि खसरा नंबर 745 रकबा 0.44 है. के पश्चिमी तरफ बीच में खड़ी लाईन को हटाकर गत नक्शा शीट (मोमीया से) सन् 1939–40 संवत् 1996–97 (गत खसरा नंबर 606) के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट मौजा बेसरड़ा में शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का भूमिधारी तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:34:06 IST
Reason: SelfAttested

(... सिंह)
... अधिकारी एवं
... सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी